

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1710/2011/अजमेर.

मैसर्स शिवशंकर ट्रेडर्स, पड़ाव, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/03/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 143/10-11/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.7.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 6.7.2010 की पुष्टि की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2010 को वाहन संख्या आर.जे.01/जीए-3720 को दिल्ली जयपुर हाईवे, लखेर ग्राम में चैक किये जाने पर उक्त वाहन में कश्मीर व दिल्ली से अजमेर के लिये ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम व अखरोट) का परिवहन किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल संख्या 095 दिनांक 23.6.2010 व 267 दिनांक 30.6.2010, बिल्टी संख्या 25992 व 26012 दिनांक 30.36.2010 व घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 7423760 की जांच में पाया गया कि घोषणा पत्र वैट-47 में कांट-छांट व ओवरराईटिंग की गई है तथा निर्धारित स्थानों पर पंच भी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बिल संख्या 095 दिनांक 23.6.2010 से आयातित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं पाया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के माल परिवहन में


लगातार.....2

वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए धारा 76(6) के तहत के तहत शास्ति रूपये 1,15,482/- एवं वेट रूपये 19,247/- का आरोपण आदेश दिनांक 6.7.2010 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.7.2011 से अस्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ माल से सम्बन्धित वांछित सभी दस्तावेज उपलब्ध थे। घोषणा पत्र वैट-47 में लिपिकीय भूलवश विक्रेता द्वारा कांटछांट हो गई थी, जिसे हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया जा चुका था। माल की सम्बन्धित बिल्टी पर वैट-47 का नम्बर भी अंकित है, इसलिए पूर्ण घोषणा-पत्र पर माननीय उच्चतम न्यायालय का गुलजग इण्डस्ट्रीज प्रकरण का निर्णय लागू नहीं होता है। यह भी कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर करापवंचन की मंशा प्रमाणित करनी चाहिये थे। प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि अखरोट कश्मीर से आयातित माल का उनके द्वारा ऑर्डर नहीं दिया गया था, फिर भी प्रेषक व्यवहारी द्वारा माल प्रेषित कर दिया गया। अखरोट कश्मीर में करमुक्त होने के कारण इस पर घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं थी। इसमें व्यवहारी का कोई दोषी मनोभाव नहीं था।

अग्रिम कथन यह भी किया कि व्यवहारी राज्य में पंजीकृत है। माल के विक्रय होने पर कर भी जमा करा दिया है। धारा 76 के तहत करारोपण उसी स्थिति में किया जा सकता है, जबकि आयातक अपंजीकृत हो। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वेट आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के अविधिक आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....3

बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र के सभी महत्वपूर्ण कॉलम्स में कांट-छांट व ओवरराईटिंग कर पुरानी प्रविष्टियों को मिटाकर नई प्रविष्टियां की गई हैं, जो कि स्पष्ट रूप से करापवंचन की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त बिल संख्या 095 से आयातित माल के समर्थन में कोई घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी का उक्त कृत्य स्पष्टतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र अपूर्ण अथवा रिक्त होने पर शास्ति आरोपणीय है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित किये जाने एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वक्त चैकिंग वाहन में अधिसूचित श्रेणी का माल परिवहनित किया जा रहा था। माल के दस्तावेजों के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र वेट-47 संख्या 7423760 के पार्ट-बी के कॉलम संख्या 1, 2 व 5 तथा पार्ट-सी के कॉलम संख्या 1 व 2 में कांटछांट कर नई प्रविष्टियां की गई है, जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है, जिन्हें सत्यापित नहीं किया गया है। घोषणा पत्र की द्वि-परत (Duplicate) में इन्वॉयस की संख्या 264 दिनांक 30.6.2010 व नगों की संख्या 31 ओवरराईटिंग द्वारा दिनांक 20.5.2010 के स्थान पर, पैकेज 33 के स्थान पर की गई है तथा वजन 1550 अंकित है। पार्ट-सी में वाहन संख्या भी दर्ज नहीं है। घोषणा-पत्र की मूल परत में भी इन्वॉयस संख्या 264 दिनांक 30.6.2010, पैकेज 31 व वजन 1150 अंकित है, जबकि माल का बिल संख्या 267 है, पैकेज 33 है। वाहन की संख्या भी घोषणा-पत्र के पार्ट-सी में आर.जे.14-0084 अंकित है, जबकि माल वाहन संख्या आर.जे.01-जीए-3720 में पाया गया है। घोषणा-पत्र में इन्वॉयस संख्या 264 अंकित है, जबकि माल का बिल 267 है। इस प्रकार माल से सम्बन्धित घोषणा-पत्र में इंद्राज भी ओवरराईटिंग के बाद भी अलग अंकित हैं। अपीलार्थी का यह कृत्य किसी भी



लगातार.....4


दृष्टि से सद्भावी नहीं माना जा सकता। करापवंचन की मंशा स्पष्टतः प्रमाणित होती है। विधिक दृष्टि से उक्त घोषणा पत्र को मान्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त बिल संख्या 095 दिनांक 23.6.2010 से आयातित माल के समर्थन में कोई घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क मानने योग्य नहीं है कि बिना ऑर्डर के प्रेषक व्यवहारी द्वारा माल भिजवा दिया गया था, या कश्मीर में अखरोट करमुक्त है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार रिक्त/अपूर्ण घोषणा प्रपत्र के समर्थन से विवादित माल का परिवहन वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है तथा अपीलार्थी के इस कृत्य के लिये उसके विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(5) के तहत शास्ति आरोपित करने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने भी किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है।

प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी राज्य का पंजीकृत व्यवहारी होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण के साथ माल की कीमत पर 5 प्रतिशत की दर से वेट आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस सीमा तक अपीलीय आदेश व सक्षम अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए, आरोपित वेट राशि रूपये 19,247/- की पुष्टि किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सशक्त अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,15,482/- की पुष्टि की जाती है तथा आरोपित वेट राशि रूपये 19,247/- अपास्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/03/14